

पाठ - 4

जिन चीजों से रोज़ा नहीं टूटता

الدرس الرابع - هندي

أشياء لا تفسد الصوم

1. स्नान करने, या तैरने या पानी के ज़रिया गर्मी से बचने से ।
2. फ़ज़ उदय से पहले खानेपीने या हमबिस्तरी करने से।
3. मिस्वाक करने से, दिन में किसी समय भी मिस्वाक किया जाए, उससे रोज़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल्कि यह मुस्तहब कामों में से एक है।
4. हलाल दवा के इस्तेमाल से, शर्त यह है कि उससे गिज़ा हासिल न होती हो। अतएव ऐसा इंजेक्शन लिया जा सकता है, जिसमें गिज़ाइयत न हो। कान या आँख में ड्राप भी डाला जा सकता है यद्यपि इंसान के हलक में दवा के मज़ा का एहसास हो जाए। अलबत्ता इफ़तार के समय तक इन चीज़ों को टालना बेहतर है।

इसी तरह स्परे का इस्तेमाल भी जायज़ है। खाना चखने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। शर्त यह है कि इंसान के पेट में कुछ न पहुंचे।

उसी तरह कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में भी कोई हर्ज़ नहीं है। अलबत्ता इन चीज़ों में ज़्यादती नहीं करनी चाहिए ताकि कोई चीज़ इंसान के पेट तक न पहुंच जाए।

खुशबू इस्तेमाल करने और पाकीज़ा खुशबुओं को सूंघने में कोई हर्ज़ नहीं है।

5. माहवारी से गुज़र रही महिला का खून रात में बन्द हो जाए तो उनके लिए फ़ज़ उदय तक स्नान का टाल देना जायज़ है। उसी तरह से जुनुबी का भी मसला है।

नोट: 1. यदि कोई काफ़िर रमज़ान के दिन में ईमान लाएगा तो वह उसे दिन का शेष हिस्सा खाने पीने और दूसरी रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से बाज़ रहेगा। और उसपर क़ज़ा वाजिब नहीं होगी।

2. फ़र्ज़ रोज़ा और नफ़ल रोज़ा: शव्वाल के 6 रोज़े अरफ़ा के दिन का रोज़ा, और आशूरा का रोज़ा रखने वालों के लिए यह ज़रूरी है कि वह तुलू-ए-फ़ज़ से पहले रात के किसी हिस्से में उसकी नीयत कर लें। अलबत्ता मुतलक नफ़ल रोज़ों जैसे हर महीने के तीन रोज़े, उनकी नीयत तुलू-ए-फ़ज़ के बाद दिन के कुछ हिस्से गुज़रने पर भी की जा सकती है, शर्त यह है कि उससे पहले कुछ न खाया हो।

3. रोज़ेदार के लिए मुस्तहब है कि वह रोज़ा तोड़ने से पहले दुआ करे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है: "रोज़ेदार की इफ़तार के वक़्त की दुआ कदापि रद्द नहीं होती है। (सुनन इब्न माजा 1734) और इस बारे में दुआ आइ है कि वह कहे

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَّتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ

जहबज्जमउ वबत्ललतिल उरुको व सबतल अज़र इनशा अल्लाह

4. जिसे दिन के बीच में रमज़ान शुरु होने की ख़बर मिले तो उस पर ज़रूरी है कि वह उस समय से खाना-पीना छोड़ दे और उसकी क़ज़ा करे।

5. जिस व्यक्ति का क़ज़ा रोज़ा बाकी हो, उसे चाहिए कि ज़िम्मेदारी निभाने के उद्देश्य से उसे अदा करने में जल्दी करे। अलबत्ता इस ताल्लुक से देर करना भी जायज़ है और अपनी क़ज़ा को लगातार या अलग अलग भी अदा कर सकता है। अलबत्ता किसी उज़्र के बिना दूसरे रमज़ान तक नहीं टाल सकता।